जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितपोष आयोग,लखीमपुर–खीरी

परिवाद संख्याः–127/2022

परिवाद के योजन का दिनॉकः–26.07.2022

परिवाद के निर्णय का दिनॉकः–22.06.2026

उपस्थितिः– 1.अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव,अध्यक्ष

2. डॉ0 आलोक कुमार शर्मा,सामान्य सदस्य

3. सुश्री जूही कुददूसी,महिला सदस्य

पंकज कुमार शुक्ल आयु 56–वर्ष लगभग पुत्र श्री बॉकेलाल शुक्ल,निवासी मो0जयदेवनगर, बेहजम रोड,ईदगाह,लखीमपुर–खीरी।————परिवादी।

बनाम

1. मुख्य प्रबन्धक,शाखा–मुख्य शाखा,भारतीय स्टेट बैंक,कचेहरी रोड,लखीमपुर–खीरी
2. शाखा प्रबन्धक,शाखा–हरगॉव,भारतीस स्टेट बैंक,जिला–सीतापुर।
3. आलोक कुमार चौधरी,प्रबंध निदेशक,रिटेल बिजनेस (R.B.+O) भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट सेंटर,स्टेट बैंक भवन,मैडम कामा रोड,नरीमन प्वांइट,मुम्बई महाराष्ट्र–400021
4. चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक लोकल हेड ऑफिस,भारतीय स्टेट बैंक,मोती महल मार्ग,हजरतगंज,लखनऊ,उ0प्र0,226001

1.परिवादी की ओर से उपस्थितः–श्री लक्ष्मीकांत अवस्थी,एडवोकेट

2.विपक्षीगण की ओर से उपस्थितः–श्री हरबंस सिंह,एडवोकेट

डॉ0 आलोक कुमार शर्मा,सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णयः–

परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व दाखिल करते हुए यह अनुतोष की मांग की गयी है कि उसके खाते के विवरणी में किये गये अशुद्व प्रविष्टियों तथा बिना उसकी सहमति के उसके खाते का विवरण तृतीय व्यक्ति को प्राप्त कराने से उसे मानसिक,शारीरिक व आर्थिक क्षति पहुॅची है। जिसके लिए रू0.2,00,000/– एवं रू0.3,00,000/– तथा रू0. 50,000/– अतिरिक्त क्षतिपूर्ति साथ ही वाद व्यय के रूप में रू0.10,000/– की मांग की गयी है।

परिवादी का संक्षेप में यह कथन है कि परिवादी अवध शुगर मिल लि0,हरगॉव,जिला–सीतापुर में पूर्व में कार्यरत था। परिवादी का एक बचत खाता संख्या. 35506053710 भारतीय स्टेट बैंक,शाखा–हरगावॅ,जिला–सीतापुर में संचालित है। यह कि परिवादी का गोविन्द शुगर मिल लि0 ऐरा स्टेट,जनपद–लखीमपुर–खीरी से एक कर्मकार विवाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित है जिसमें परिवादी को गोविन्द शुगर मिल लि0 द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र एवं कागजातों को उपलब्ध कराया गया जिसमें परिवादी के बचत खाता संख्या.35506053710 जो भारतीय स्टेट

Joohi Quddusi 22.06.2026.

22.06.2026

शेष————2–पर

22.06.2026

बैंक हरगाँव सीतापुर में संचालित है का विवरण भी दिया गया है जिसमें कुछ गलत प्रविष्टियाँ भी की गयी थी जिसके संदर्भ में परिवादी द्वारा संबंधित बैंक की शाखा से स्पष्टीकरण की मांग किया तब विपक्षी संख्या.02 ने अपनी गलती मानते हुए प्रविष्टियों को शुद्धीकरण कर परिवादी को एक शुद्धि पत्र दिनाँक.29.04.2022 को उपलब्ध कराया। परिवादी ने दिनाँक.26.04. 2022 को विपक्षी संख्या.02 को तथा दिनाँक.28.04.2022 को विपक्षी संख्या.01 को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण मांगा कि जब उसने अपने खाता विवरण को देने के लिए न तो किसी को सहमति पत्र दिया और न ही अधिकार पत्र दिया है तो किन कारणों से बैंक द्वारा परिवादी का खाता विवरण अन्य व्यक्ति को कैसे दिया जब कि उसके द्वारा कोई सहमति पत्र नहीं दिया गया था,किन्तु विपक्षीगण के द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया । यह कि विपक्षी संख्या.01 ने परिवादी के पत्र दिनाँक.28.04.22 का उत्तर दिनाँक.21.07.222 को देते हुए स्वीकार किया कि परिवादी के हरगाँव शाखा के खाते का विवरण गोविन्द शुगर मिल लि0 के अनुरोध पर उपलब्ध कराया गया। परिवादी का यह कहना है कि विपक्षी के इस कृत्य से उसे अत्यधिक क्षोम व आपत्ति है। जिससे उसे काफी मानसिक क्षति पहुँची है। जिस कारण परिवादी द्वारा यह परिवाद दाखिल किया गया।

विपक्षीगण की ओर से अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि परिवाद पत्र में वर्णित धारा–01 को स्वीकार करते है, किन्तु परिवाद पत्र की धारा–02 से लेकर धारा–09 को स्वीकार नहीं किया है तथा विशेष कथन के रूपमें यह कहा गया है कि परिवादी का परिवाद विधि विरूद्व एवं गलत तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा यह भी कहा गया कि परिवादी तथा गोविन्द शुगर मिल लि0 के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट होना बताया गया है,इसलिए इस परिवाद में गोविन्द शुगर मिल भी पक्षकार है,किन्तु जिसे पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। पुनः यह कहा गया कि परिवादी गोविन्द शुगर मिल का कर्मचारी था तथा विपक्षी संख्या.01 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा–लखीमपुर–,खीरी में गोविन्द शुगर मिल लि0 का एकाउण्ट है। इसी एकाउण्ट में मिल के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वर्षो से हो रहा है तथा वेतन की धनराशि सीधे कर्मचारियों के एकाउण्ट में ट्रांसफर होती रही है। दिनॉक.09.11.2021 को गोविन्द शुगर मिल द्वारा अपने अभिलेखों में परिवादी के वेतन के हिसाब से मिलान व समन्वय हेतु लिखित प्रार्थनापत्र पर ही बैंक द्वारा परिवादी के एकाउण्ट का स्टेटमेंट शुगर मिल को दिया गया है जो विधि सम्मत है तथा सेवा में कमी का परिणाम नहीं है विपक्षी संख्या.01 द्वारा गोविन्द शुगर मिल को दिये गये परिवादी के खाता विवरण में कोई प्रविष्टि गलत नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विपक्षीगण द्वारा परिवादी के परिवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

Joohi Quddus
22/06/2026

22.6.2026

शेष————3–पर

22.06.2026

वादी द्वारा अपने समर्थन में सूची कागज संख्या.05 से शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक हरगॉव को प्रेषित पत्र दिनॉकित.26.04.22,शाखा प्रबन्धक,मुख्य शाखा भारतीय स्टेट बैंक लखीमपुर को प्रेषित पत्र दिनॉकित.28.4.22,भारतीय स्टेट बैंक,शाखा–हरगावें से प्राप्त पत्र दिनॉकित.29.4.2022 व भारतीय स्टेट बैंक,मुख्य शाखा–लखीमपुर से प्राप्त पत्र दिनॉकित.21.7 222 व बचत खाता संख्या.35506053710 की पासबुक व पंकज कुमार शुक्ल का आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

विपक्षीगण द्वारा अपने समर्थन में सूची कागज संख्या.10 बैंक स्टेटमेंट के संबंध में प्रपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा लिखित बहस कागज संख्या.11 प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षीगण द्वारा लिखित बहस कागज संख्या.13 प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात व पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस वाद में मुख्य रूपसे यह बिन्दु प्रकाश में आता है कि क्या विपक्षी संख्या.02 शाखा प्रबन्धक,शाखा–हरगॉव,सीतापुर ने विपक्षी संख्या.01 भारतीय स्टेट बैंक,मुख्य शाखा,लखीमपुर–खीरी को परिवादी के बचत खाता का विवरणी उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है? इस वाद में परिवादी और विपक्षीगण के जवाब के आलोक से स्पष्ट होता है कि परिवादी पूर्व में गोविन्द शुगर मिल लि0 का कर्मचारी था तथा उसकी सेवा के दौरान परिवादी का वेतन संबंधित खाता विपक्षी संख्या.01,भारतीय स्टेट बैंक,मुख्य शाखा,लखीमपुर–खीरी में था और इसी खाते में परिवादी को गोविन्द शुगर मिल से वेतन की प्राप्ति होती थी,किन्तु परिवादी को अपने उक्त वेतन के खाते जो विपक्षी संख्या.01 की शाखा,लखीमपुर–खीरी के बचत खाता संख्या.111063369137 है, के संबंध में कोई विवाद नहीं है,बल्कि परिवादी का जो बचत खाता संख्या विपक्षी संख्या.02 भारतीय स्टेट बैंक,शाखा–हरगॉव,सीतपुर में संचालित है जिसका खाता संख्या.35506053710 है के विवरणी को विपक्षी संख्या.01 को दिये जाने व विपक्षी संख्या.01 के द्वारा गोविन्द शुगर मिल को दिया जाना ही विवाद का मुख्य बिन्दु है। इस संदर्भ में मुख्य रूपसे जो रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश है, उसके अनुसार ""बैंक अपने ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी उनकी पूर्व सहमति के बिना तब तक प्रकट नहीं कर सकती जब तक की ग्राहक के बीच किसी अनुबंध की सहमति न हो ।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में यह पीठ यह पाती है कि परिवादी के बचत खाता संख्या.35506053710 परिवादी का व्यक्तिगत है जिसमें गोविन्द शुगर मिल का वेतन भी नहीं जाता है । ऐसे खाते के संदर्भ में उसका विवरणी तृतीय पक्ष को दिया जाना नियमानुसार

Jothi Chaddwai 22/06/2026.

22.06.2026

शेष————4–पर

22-06-2026

और ऐसी परिस्थिति में विपक्षी संख्या.02 के द्वारा परिवादी के बचत खाता का विपक्षी संख्या.01 को दिया जाना पूर्णत गलत है।

इस प्रकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विपक्षी संख्या.01 व 02 दोनों सामान्य बैंकिंग के दिशा–निर्देशों की अवहेलना के लिए जिम्मेदार है और यह दोनों विपक्षीगण 01 व 02 के द्वारा उक्त कृत्य दूषित सेवा की परिधी में आता है।

इस वाद मे विपक्षी संख्या.03 व 04 की कोई भूमिका नहीं है,इसलिए उनके विरूद्व कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

(आदेश)

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह आदेश दिया जाता है कि परिवादी का परिवाद विपक्षी संख्या.01 व विपक्षी संख्या.02 के विरूद्व निर्णीत किया जाता है तथा विपक्षी संख्या.01 व 02 को संयुक्त रूप से यह आदेश दिया जाता है कि परिवादी के सहमति के बिना उसके बचत खाते से विवरणी उपलब्ध कराने में हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए परिवादी को रू0.20,000/– (बीस हजार रू0) व इस धनराशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 6–प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इसके अतिरिक्त वाद व्यय की मद में रू0.5,000/– की अदायगी परिवादी को करना सुनिश्चित करे।

उक्त अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर परिवादी उक्त आदेश को पालन कराने हेतु विधिक प्रक्रिया अपना सकती है।

Joohi Quddusi 22/06/2026	22.06.2026	A.L. Srivastava 22.06.2026
(जूही कुददूसी)	(डॉ0आलोक कुमार शर्मा)	(अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव)
सदस्या	सदस्य	अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी	जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी	जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी।

दिनॉक.22.06.2026

निर्णय आज खुले आयोग में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

Joohi Quddusi 22/06/2026.	22.06.2026	A.L. Srivastava 22.06.2026
(जूही कुददूसी)	(डॉ0आलोक कुमार शर्मा)	(अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव)
सदस्या	सदस्य	अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी	जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी	जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर–खीरी।